राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

अपील डिक्री / टी.ए. / 6651 / 2006 / हनुमानगढ

रूपराम उर्फ रूपाराम पुत्र सहीराम जाति सुथार निवासी मसीतावाली तहसील टिब्बी वर्तमान निवासी चौटाला तहसील डबवाली जिला सिरसा (हरियाणा)

....अपीलांट

बनाम

1. गंगाराम पुत्र सहीराम जाति सुथार निवासी चौटाला तहसील डबवाली जिला सिरसा (हरियाणा)
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, पीलीबंगा

.....रेस्पोडेन्ट्स

खण्ड पीठ
श्री मनोज कुमार नाग, सदस्य
श्री राजेन्द्र कुमार, सदस्य

उपस्थित–
श्री ओ.पी.मोदी, अभिभाषक अपीलांट
श्री एस.एन.बेनीवाल, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट

निर्णय **दिनांक : 14.02.2019**

द्वारा–श्री राजेन्द्र कुमार, सदस्य

1. यह द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 224 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ द्वारा अपील संख्या 142 / 2004 में दिनांक 21–9–2006 को पारित निर्णय व डिक्री के विरूद्ध पेश की गई है।

2. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी / अपीलांट ने विचारण न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत कर चक 25 पी.बी.एन. खाता संख्या 20 / 22 में 1.126 हेक्टेयर का खातेदार काश्तकार की उद्घोषणा चाही एवं प्रतिवादी / रेस्पोडेन्ट सं.1 का नाम इस खाते से कलमजन किये जाने हेतु अनुतोष चाहा। प्रतिवादी / रेस्पोडेन्ट सं.1 ने काउन्टर क्लेम प्रस्तुत कर प्रश्नगत भूमि 1.126 हेक्टेयर में से 1 / 2 हिस्सा में से वादी / अपीलांट का नाम कलमजन किये जाने का अनुतोष चाहा। विचारण न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, पीलीबंगा ने दावा, जवाब दावा / प्रतिदावा के आधार पर तनकियात कायम की एवं पक्षकारान की दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य दर्ज कर तथा उभय पक्ष को सुनकर निर्णय दिनांक

29–10–2004 द्वारा वादी/अपीलांट का वाद खारिज कर दिया तथा प्रतिवादी/रेस्पोडेन्ट सं.1 का काउन्टर क्लेम स्वीकार कर डिक्री करते हुए चक 25 पी.बी.एन. के प.नं. 18/354 कि.नं. 1 ता 3, 8 ता 13 में गंगाराम व रूपराम पि. सहीराम के नाम दर्ज 1.126 हिस्सा के स्थान पर प्रतिवादी सं.1 गंगाराम को एकल खातेदार घोषित किये जाने का आदेश पारित किया। विचारण न्यायालय के उक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 29–10–2004 के विरूद्ध अपीलांट/वादी ने राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की, जो आक्षेपित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 21–9–2006 द्वारा अपास्त करते हुए अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 29–10–2004 को यथावत रखा गया। जिससे व्यथित होकर यह द्वितीय अपील पेश की गई है।

3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।

4. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की दलील है कि विवादित भूमि अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने जयमल खां से जरिये रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 3–9–1963 को क्रय की थी, तभी से यह भूमि इन दोनों के नाम राजस्व रिकार्ड में बहिस्सा बराबर दर्ज चली आ रही है। अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पिता सहीराम एवं उनके भाई चुन्नीराम व हरिराम के नाम से ग्राम चौटाला में 255 कनाल 19 मरला भूमि थी। चुन्नीराम व हरिराम लाऔलाद फौत हुए थे तथा उनका हिस्सा की भूमि सहीराम को प्राप्त हुई थी। अपीलांट के भाई गंगाराम व मामराज ने डबवाली में उक्त भूमि बाबत गलत दावे करके, गलत बयानी करके एवं अपीलांट को पक्षकार बनाये बिना डबवाली की भूमि अपने नाम दर्ज करवा ली, जिसकी जानकारी होने पर अपीलांट, रेस्पोडेन्ट व रिश्तेदारान की पंचायत हुई, जिसमें यह तय हुआ कि डबवाली की जमीन में वादी/अपीलांट अपने भाईयों के साथ बहिस्सा बराबर भूमि का हकदार है। वादी ग्राम मसीतावाली (राजस्थान) में रहता है इसलिए डबवाली की भूमि में वादी/अपीलांट को 8 कनाल 9 मरला भूमि हिस्सा में दी गई। वादी के हिस्सा की शेष भूमि रेस्पोडेन्ट गंगाराम के नाम रखी गई। इसके बदले में गंगाराम ने चक 25 पी बी एन राजस्थान की भूमि में अपना हिस्सा की 2 बीघा 4.5 बिस्वा भूमि वादी/अपीलांट को दे दी। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने अभिलेख पर प्रस्तुत मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य पर गौर किये बगैर निर्णय पारित किये हैं तथा इन तथ्यों पर ध्यान केन्द्रित नहीं किया कि डबवाली की कुल भूमि में वादी का कितना हिस्सा बनता है तथा वादी को कम भूमि क्यों दी गई एवं उसके भाई गंगाराम को अधिक भूमि क्यों दी गई ? विचारण न्यायालय ने तनकियात भी

अभिवचनों के अनुकूल कायम नहीं की थी तथा सभी तनकियात का निर्णय एक साथ करके भी अवैधानिकता की है। कानून के मुताबिक सभी तनकियात पर पृथक–पृथक निर्णय दिया जाना चाहिए था। विचारण न्यायालय ने साक्ष्य का विवेचन किये बगैर चार तनकियात का निर्णय एक साथ कर दिया तथा तीन तनकियात का निर्णय एक साथ कर दिया। विचारण न्यायालय ने वादी का वाद खारिज करके एवं प्रतिवादी/रेस्पोडेन्ट का काउन्टर क्लेम डिक्री करके कानूनन भूल की है। इन तथ्यात्मक एवं विधिक पहलुओं पर गौर किये बगैर प्रथम अपीलीय न्यायालय ने त्रुटियां बढकर दोहरायी हैं। तनकी संख्या 1, 2 व 7 को एक साथ यह कहते हुए निर्णित किया गया है कि इनका प्रमाण भार वादी पर है, जबकि तनकी संख्या 2 का प्रमाण भार तो प्रतिवादी पर था। तनकी संख्या 3 का निर्णय बिना किसी आधार के प्रतिवादी के पक्ष में किया गया है। इसी तरह राजस्व अपील प्राधिकारी ने तनकी संख्या 4, 5, 6 का निर्णय अलग–अलग न करके एक साथ किया है, जो कि अवैधानिक है। अतः निवेदन किया गया कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर वादी का वाद डिक्री किया जाए। विद्वान अधिवक्ता ने अपने तर्को के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किये हैं –

(1) 2012 (1) आर.आर.टी. 719 'रणजीत सिंह वगैरह बनाम विनोद कुमार वगैरह'
(2) 2003 (1) आर.आर.टी. 709 'रामलाल वगैरह बनाम कल्याण' :–
इन मामलों में राजस्व मण्डल द्वारा यह मत प्रतिपादित किया गया है कि न्यायालय को प्रत्येक तनकी का निर्णय पृथक–पृथक करना चाहिए।
(3) 2017 (2) आर.आर.टी. 1074 'नवल कुमार बनाम पप्पू सिंह वगैरह' :– इस मामले में राजस्व मण्डल द्वारा यह मत प्रतिपादित किया गया है कि केवल मौखिक साक्ष्य के आधार पर वाद डिक्री नहीं किया जा सकता है।
(4) 2011 (2) आर.आर.टी. 1006 'गुरमीत सिंह वगैरह बनाम मलकीयत कौर' :– इस मामले में राजस्व मण्डल द्वारा यह मत प्रतिपादित किया गया है कि यदि प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा वाद बिन्दु विरचित किये बगैर निर्णय पारित किया जाता है तो ऐसा निर्णय त्रुटिपूर्ण कहलाया जाएगा।
(5) 2008 (2) आर.आर.टी. 1090 'बजरंगा बनाम हरि वगैरह' :– इस मामले में राजस्व मण्डल द्वारा यह मत प्रतिपादित किया गया है कि यदि निर्णय में साक्ष्य का विवेचन नहीं किया जाता है एवं अपीलीय न्यायालय द्वारा भी उस त्रुटि को दुरूस्त नहीं किया जाता है तो ऐसा निर्णय अपास्त किये जाने योग्य है।

5. विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी/रेस्पोडेन्ट ने उक्त दलीलों का यह कहते हुए विरोध किया है कि दोनों आक्षेपित निर्णय समवर्ती हैं, जिनमें हस्तक्षेप लायक गुंजाइश नहीं है। वैसे भी वादी का वाद खारिज करने एवं प्रतिवादी/रेस्पोडेन्ट का काउन्टर क्लेम डिक्री किये जाने के निर्णय के विरूद्ध वादी को राजस्व अपील प्राधिकारी के समक्ष दो पृथक–पृथक अपीलें पेश करनी चाहिए थी। वादी ने केवल एक ही अपील पेश की थी, जिससे यह पता नहीं चलता है कि उसने वह अपील वाद खारिज करने के निर्णय के विरूद्ध पेश की अथवा काउन्टर क्लेम डिक्री करने के निर्णय के विरूद्ध। इसलिए वादी द्वारा पेश एक अपील पूर्व न्याय के सिद्धांत से बाधित थी। इन परिस्थितियों में वादी की यह द्वितीय अपील भी पोषणीय नहीं है। विद्वान विचारण न्यायालय ने एवं प्रथम अपीलीय न्यायालय ने जो तनकियात एक दूसरे से संबंधित थी, उनका निर्णय एक साथ किया है ताकि साक्ष्य की पुनरावृत्ति ना हो। इसलिए आक्षेपित निर्णयों में अवैधानिकता नहीं है। अपील खारिज की जाए। विद्वान अधिवक्ता ने अपने तर्को के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किये हैं–

(1) ए.आई.आर. 1993 एस.सी. 1202 'प्रीमियर टायर्स लि0 बनाम केरल स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन'

(2) आर.एस.ए.नंबर 14/2015 निर्णय तिथि दिनांक 28–1–15 'गिरिजा वगैरह बनाम राजन वगैरह'

(3) ए.आई.आर. 1976 एस.सी. 1645 'लोनन कुट्टी बनाम थोमन'

6. उपरोक्त तर्को के खण्डन में विद्वान अधिवक्ता वादी/अपीलांट की दलील है कि समान्य प्रक्रिया में एक ही निर्णय के विरूद्ध एक ही अपील पेश की जाती है, चाहे उस निर्णय के द्वारा एक से अधिक वाद निर्णित किये गये हों या वाद व काउन्टर क्लेम एक साथ निर्णित किये गये हों। इसलिए इस मामले में पूर्व न्याय का सिद्धांत लागू नहीं होता है। फिर भी दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों के द्वारा चूंकि वादी को उसकी आधी जमीन से ही वंचित कर दिया गया है, इसलिए वादी/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील एवं द्वितीय अपील को केवल काउन्टर क्लेम डिक्री करने की हद तक प्रस्तुत किया हुआ माना जाए तथा यह भी माना जाए कि वादी/अपीलांट ने वाद खारिज करने के निर्णय के विरूद्ध कोई अपील प्रस्तुत नहीं की। यदि इस प्रक्रिया को अपना लिया जाता है तो वादी कम से कम अपनी आधी भूमि तक अनुतोष तो प्राप्त कर ही सकेगा।

7. उक्त तर्को पर मनन किया गया। पत्रावलियों का अवलोकन किया गया।

8. इस बारे में विवाद नहीं है कि वादी का वाद खारिज करने एवं प्रतिवादी/रेस्पोडेन्ट का काउन्टर क्लेम डिक्री करने के निर्णय के विरूद्ध वादी/अपीलांट ने राजस्व अपील प्राधिकारी के समक्ष केवल एक अपील पेश की थी। आदेश 8 नियम 6 सी.पी.सी. 1908 के प्रावधानों के अवलोकन से यह इंगित होता है कि काउन्टर क्लेम भी एक वाद का ही रूप होता है तथा उस पर वह सभी प्रक्रियात्मक प्रावधान लागू होते हैं, जो कि किसी वाद में लागू होते हैं। 'प्रीमियर टायर्स लि0'(उपरोक्त उद्धृत) वाले प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निम्न मत प्रतिपादित किया गया है–

> "Where no appeal is filed, as in this case from the decree in connected suit it has the same effect of non filing of appeal against a judgment or decree…… Thus the finality of finding recorded in the connected suit, due to non-filing of appeal precluded the Court from preceding with appeal in other suit."

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा 'लोनान कुट्टी' (उपरोक्त उद्धृत) वाले मामले में भी यह मत प्रतिपादित किया गया है कि दो वादों के कन्सोलिडेट हो जाने के बाद यदि एक ही निर्णय के द्वारा दोनों वादों का निस्तारण किया जाता है तो ऐसे मामले में भी धारा 11 सी.पी.सी. के प्रावधान आकर्षित होंगे।

'गिरिजा वगैरह' (उपरोक्त उद्धृत) वाले प्रकरण में माननीय केरल उच्च न्यायालय द्वारा यह मत प्रतिपादित किया गया है कि यदि किसी वाद में काउन्टर क्लेम पेश होता है तथा विचारण न्यायालय के निर्णय के विरूद्ध एक ही अपील प्रस्तुत होती है, तब ऐसे मामले में धारा 11 सी.पी.सी. में वर्णित पूर्व न्याय का सिद्धांत लागू हो जायेगा। इस संबंध में माननीय केरल उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित व्यवस्था निम्नानुसार है–

> "From the above discussion, it is discernible that the law stated in Order 8 Rule 6A C.P.C. makes it abundantly clear that the counter claim in a suit will have all the characteristics of a cross suit including the vulnerability of suffering the bar of res-judicata enshrined in section 11 C.P.C., if not properly challenged.....Therefore, I find that the question of law arising in this case can only be decided against the appellants, finding that if a defendant who raised a counter claim in a suit, fails both in the suit and in the counter claim, will have to file separate appeals challenging the decree in the suit and the counter claim. Since the appellants in this case failed to do so before the lower appellate court, I am of the view that the first appeal itself was barred by res-judicata."

9. उक्त तीनों मामलों में प्रतिपादित सिद्धांत मौजूदा प्रकरण के तथ्यों पर पूर्ण रूप से लागू होते हैं। इस मामले में भी वादी/अपीलांट द्वारा विचारण न्यायालय के वाद खारिज करने एवं काउन्टर क्लेम डिक्री करने के निर्णय के विरूद्ध प्रस्तुत

की गई एक ही अपील पूर्व न्याय के सिद्धांत से बाधित थी, इसलिए वादी/अपीलांट इस अपील में भी किसी प्रकार की राहत प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। विद्वान विचारण न्यायालय के निष्कर्ष विद्वान प्रथम अपीलीय न्यायालय ने साक्ष्य का समुचित विश्लेषण व मूल्यांकन करते हुए पुष्ट किये हैं। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्षों में किसी प्रकार की अवैधानिकता या तात्विक त्रुटि नहीं है। अतः अपील सारहीन होने के कारण काबिले खारिज है।

10. लिहाजा अपील खारिज की जाती है।

सुनाया गया।

(राजेन्द्र कुमार)
सदस्य

(मनोज कुमार नाग)
सदस्य